

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक 710 / विकास कार्य / नि0सू0 / 2025-26

दिनांक 12/03/2026

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हों, ऐसे फर्मों/ठेकेदारों से कुल 12 विकास कार्यों को करने हेतु ई-निविदा दिनांक 06.04.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 07.04.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी0ओ0क्यू0/शर्तें बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 60 दिन मान्य रहेगी।

क्र	कार्य का नाम	आगणन राशि लाख रू0 में	धरोहर राशि रू0 में	टेन्डर शुल्क रू0 में	समय (माहों में)
1	मसूरी विधान सभा के अन्तर्गत विचली कफलानी मोतीनगर मार्ग में सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	25.30	75000.00	2360.00	03
2	मसूरी विधान सभा के अन्तर्गत सुवाखोली में माता भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर में टिन शोड व रेलिंग का कार्य।	42.79	85600.00	3540.00	04
3	मसूरी विधान सभा के अन्तर्गत चामासारी के दबियाना से बडदडा रोड पर सी0सी0 सडक व रेलिंग का कार्य।	34.73	89500.00	2950.00	04
4	बलदेव प्रधान के घर से सोहन लाल चैतराम से कैम्टी रोड तक रेलिंग का कार्य।	6.53	19600.00	1180.00	02
5	खेतताल के मुख्य मार्ग से युद्धवीर सिंह के घर तक सडक निर्माण।	9.30	27900.00	1180.00	02
6	चामासारी के जुकानी के ऊपर गांव तक सडक, सुरक्षा दीवार एवं रेलिंग लगाये जाने का कार्य।	30.66	75000.00	2950.00	03
7	सुवाखोली में टॉयलेट का निर्माण कार्य।	10.49	31500.00	1770.00	02
8	अटल उद्यान में राष्ट्रीय ध्वज व गजेबो का निर्माण कार्य।	37.38	75000.00	2950.00	03
9	मसूरी स्थित प्रीतम होटल से आईटी0बी0पी रोड तक रेलिक का कार्य।	46.82	94000.00	5340.00	04
10	पिक्चर पैलेस से बडे मोड तक रेलिक का कार्य।	42.48	85000.00	5340.00	04
11	जोहडी से खट्टा पानी तक सडक निर्माण कार्य।	54.80	110000.00	4720.00	04
12	मोटीधारी/टिप्पणी धार में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवार का कार्य।	46.61	93500.00	5340.00	04

अन्य नियम एवं शर्तें


- जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
- एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।

3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. uktenders.gov.in ,एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
5. निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
 - निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवांठित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवांठित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में गलत सूचना दिये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20 (सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना लोक निर्माण विभाग में लागू नियमों के अनुसार होगी।
10. जिन फर्मों/ठेकेदारों के पास पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव होगा वही निविदा में भाग लेगा। पर्वतीय क्षेत्र में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11. शासनसदेश संख्या-306433/2025 XXVII(9)/02/ अधिप्राप्ति/20204 ई0पत्रा0 संख्या 76643 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुपालन में निविदा में वही पंजीकृत ठेकेदार भाग लेगा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।


 सहायक अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव,/वित्त नियन्त्रक/मुख्य अभियन्ता म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-प्राधिकरण/नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चरपा हेतु।
- 3-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 4-आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु ।
- 6-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।


 सहायक अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।